न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 50/2012
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. भैरूलाल पिता किशनलाल जाट निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये संरक्षक माता गीता बेवा किशन जाट निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. सुश्री माया पुत्री किशनलाल जाट आयु बालिग निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. सुश्री रेखा पुत्री किशनलाल जाट आयु बालिग निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. प्यारचंद पिता चम्पालाल जाट मृतक के बजाए
   1/1. जगदीश पिता प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/2. छगनलाल पिता प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/3. कंचन पुत्री प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/4. मोहनी पुत्री प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/5. सुन्दर पुत्री प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/6. भगवानी पुत्री प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/7. कमला पुत्री प्यारचंद जाट आयु बालिग
   1/8. गेहरी लाल पिता प्यारचंद जाट आयु बालिग सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. बरदीचंद पिता छोगालाल जाट आयु बालिग निवासी पोटलां तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. मु0 नोसर बेवा छोगालाल जाट आयु बालिग निवासी पोटलां तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजु पिता भंवर जाट संरक्षक काका बरदीचंद पिता छोगालाल जाट नि0 पोटलां
5. मु0 चांदी बेवा अम्बालाल जाट आयु बालिग नि0 पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. बालु पिता अम्बालाल जाट आयु बालिग निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. सम्पत पिता अम्बालाल जाट आयु बालिग निवासी पोटलां तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. कमला पुत्री छोगालाल जाट निवासी पोटलां हाल डेलाना तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 06.12.2019

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पोटलां, पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 821 रकबा 0.29 हे0, 4957 रकबा 0.17 हे0, 4964 रकबा 0.36 हे0, 7194 रकबा 0.43 हे0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हे0 भूमि वर्तमान खाता संख्या 699 पर स्थित है।

यह कि विपक्षीगण संख्या एक ने खसरा नम्बर एक में अंकित आराजियात का बिना विधिवत रूप से विभाजन कराये ही वादग्रस्त आराजियात में निहित हिस्से की अधिक भूमि पर जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य कर रखा है। जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मुनवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना आवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 50/2012
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण उक्त अंकित आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तबतक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, वक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.03.2012 को पंजिवद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1, 5, 6, 7, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मु0 का प्रा0 पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर उसके कायम मुकाम अनुसार संशोधित टाईटल रेकार्ड पर लिया गया। वर वक्त सुनवाई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 2, 3, 4 के अधिवक्ता उपस्थित। जो जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। जिसपर उभयपक्ष अधिवक्ता की वहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने वावत निवेदन किया। जिस पर विपक्षी अधिवक्ता ने सहमती जाहिर की।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला वनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होने की प्रवल सम्भावना है जिससे प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात अर्थात् राजस्व ग्राम पोटलां, पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की सीमा में स्थित प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 821 रकबा 0.29 हे0, 4957 रकबा 0.17 हे0, 4964 रकबा 0.36 हे0, 7194 रकबा 0.43 हे0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हे0 भूमि में विपक्षीगण उक्त अंकित आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तबतक विपक्षी [illegible] आराजियात के किसी प्रकार का कोई तारबंदी नहीं करें । मौके एवं राजस्व रेकार्ड की [illegible] बनाये रखे। बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] संग्रह की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner